

कार्यालय कलेक्टर(पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण) जिला इन्दौर

(कक्ष 303 सेटेलाईट भवन कलेक्ट्रोरेट इन्दौर)


Email :- bcwelfareindore@gmail.com

Ph.No. 0731-2369050

क्र./पोमैछा नवीनीकरण/ निर्देश/2019-20/ 1978/

इन्दौर दिनांक/०/१०/२०१९

प्रति,



अधिष्ठाता/निर्देशक/प्राचार्य
समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय (समस्त)

जिला इन्दौर

विषय :-

पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदनों को स्वीकृति / वितरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

संदर्भ :-

01. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-01/11/54-1 भोपाल दिनांक 12/12/2013

02. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-01/2011/54-1 भोपाल दिनांक 21/09/2016

03. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-01/2011/54-1 भोपाल दिनांक 05/07/2017

04. आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ 147/पीएमएस/2018-19/4842 भोपाल दिनांक 27/09/2017

05. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-12-3/2015/54-1 भोपाल दिनांक 19/06/2018

06. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/785/2018/54-1 भोपाल दिनांक 09/07/2018

07. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-12-1/2017/54-1 भोपाल दिनांक 29/08/2019

08. आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ पीएमएस/पि.व./2019-20/3955 भोपाल दिनांक 30/08/2019

--00--

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल का प्रारंभ नवीनीकरण छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदनों हेतु 01-09-2019 से किया गया है।

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदनों का संस्था स्तर पर परीक्षण पश्चात् अग्रेषण किये जाने एवं समय सीमा में स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा- निर्देश जारी किये जाते हैं।

01. विद्यार्थीयों द्वारा ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरकर एवं आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने के पश्चात्, छात्रवृत्ति आवेदन लॉक करके हॉर्ड कॉपी पर स्वयं की फोटो एवं हस्ताक्षर तथा पालक के हस्ताक्षर कराकर आवश्यक दस्तावेजों सहित नवीनीकरण आवेदन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करेगे।

(अ) नवीनीकरण- पिछले वर्ष की उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची (दोनों सेमेस्टर/एक वर्षीय), आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, संस्था में नवीनीकरण प्रवेश आवेदन फॉर्म की सत्यापित कॉपी, प्रवेश के समय संस्था में जमा की गई शिक्षण शुल्क की रसीद की छाया प्रति(जिसमें राशि का स्पष्ट मदवार उल्लेख हो), बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी, शासकीय छात्रावास में रहने की दशा में छात्रावास अधीक्षक का प्रमाणिकरण लगाकर संस्था प्राचार्य/छात्रवृत्ति प्रभारी को प्रस्तुत करेगे।

निरंतर --02


02. संस्था प्राचार्य एवं छात्रवृत्ति प्रभारी के द्वारा विद्यार्थी से छात्रवृत्ति आवेदन फार्म ऑनलाईन रिसीव करने से पहले छात्रवृत्ति आवेदन फार्म एवं आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण करे, तत्पश्चात् ही छात्रवृत्ति आवेदन फार्म ऑन लाईन रिसीव करें। अन्यथा विद्यार्थी को छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में पाई गई कमियों से अवगत कराकर पुनः कमियों की पूर्ति कर नया आवेदन फार्म लॉक करा कर प्राप्त करें।
03. संस्था प्राचार्य/छात्रवृत्ति प्रभारी विद्यार्थी का छात्रवृत्ति आवेदन फार्म ऑन लाईन रिसीव करने के पश्चात् आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी जमा करने की पावती (रसीद) आवश्यक रूप से विद्यार्थी को प्रदान करें।
04. “पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि का भुगतान छात्र के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। विद्यार्थी से छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाईन भरते समय बैंक खाते की सही जानकारी ली जावे तथा संस्था प्राचार्य छात्र के बैंक खाते की जानकारी को स्वयं सत्यापित करें।”
 - (अ) पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु नियमानुसार पात्रता रखने वाले विद्यार्थी स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना सही आधार नम्बर सावधानी पूर्वक पंजीकृत करें, तत् प्राचार्य स्वयं भी परीक्षण करें।
 - (ब) यदि कोई विद्यार्थी द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना या अन्य किसी छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करता है, तो वह इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। संस्था प्रमुख यह सूनिश्चित करें।
 - (स) विद्यार्थी द्वारा गलत या किसी ओर व्यक्ति का आधार नम्बर प्रविष्ट/ उपयोग करना एवं संस्था द्वारा किसी भी छात्र का गलत आधार नम्बर का सत्यापन करना आधार एक्ट 2016 के अध्याय-06 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आधार एक्ट 216 के अनुसार तीन साल की कैद या रूपये दस हजार दोनों दण्ड का प्रावधान है।
 - (द) विद्यार्थी द्वारा गलत या किसी ओर व्यक्ति का आधार नम्बर प्रविष्ट/ उपयोग या सत्यापन करने पर विद्यार्थी का आवेदन बगैर किसी सूचना के निरस्त किया जाएगा। इस के लिए विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
 - (ध) संस्था प्राचार्य/छात्रवृत्ति प्रभारी विद्यार्थी का छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में मुख्यरूप से विद्यार्थी द्वारा भरे गये बैंक खाता नम्बर एवं आई.एफ.एस.सी. कोड आवेदन फार्म में लगे बैंक खाते की पासबुक से मिलान कर पुष्टि करें, तथा क्योस्क बैंकिंग खाता मान्य नहीं होगा, केवल वर्तमान में प्रचलित एवं आधार लिंक, बचत खाता (सेविंग) होने से छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की जावेगी।
 - (ण) शैक्षणिक सत्र 2018-19 में जिन विद्यार्थीयों के आरटीजीएस फैल हुए हैं उन छात्रों के बैंक खाता सही होने की पुष्टि के पश्चात ही संस्था छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाईन रिसीव करें। आवेदन फार्म रिसीव होने पर छात्र को सूचना पत्र जारी करते हुए संस्था प्राचार्य/निर्देशक अपने स्तर से उक्त आवेदन टेम्परेरी निरस्त करें।
 - 05. विद्यार्थीयों द्वारा पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची (दोनों सेमेस्टर/एक वर्ष) छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्केन कर अपलोड की जाए एवं पोर्टल पर परीक्षा परिणाम की जानकारी अंकित की जाये। संस्था द्वारा प्रमुखता से परीक्षण किया जाये।
 - 06. विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल में नवीनीकरण छात्रवृत्ति फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरकर एवं लॉक कर आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन की हार्ड कॉपी संस्था में आवेदन लॉक दिनांक से 07 दिवस में अनिवार्य रूप से जमा की जाये।
 - 07. संस्था प्राचार्य/छात्रवृत्ति प्रभारी छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में मुख्य रूप से विद्यार्थी द्वारा जिस वर्ष हेतु छात्रवृत्ति आवेदन कर रहा है। उसका परीक्षण अंकसूची के आधार पर करें। जिससे पात्र विद्यार्थीयों को छात्रवृत्ति स्वीकृत हो सकें।
 - 08. (अ) म.प्र. शासन पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रं/ एफ-12-1/2011/54-1 भोपाल 21/09/2016 के अनुसार पिछड़ावर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत संपूर्ण स्वीकृत राशि का भुगतान सीधे विद्यार्थीयों के एकल बैंक खाते में किया जायेगा।
 - (ब) प्रदेश के शासकीय संस्थाओं में संचालित संचालित केवल बीई/ एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थीयों को योजना योजनांतर्गत स्वीकृत शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्कों का भुगतान सीधे शासकीय संस्थाओं के बैंक खाते में भुगतान किया जावेगा, तथा अनुरक्षण भत्ता का भुगतान सीधे विद्यार्थी के एकल बैंक खाते में ऑनलाईन हस्तांतरित किया जावेगा।
 - 09. संस्था प्राचार्य द्वारा पात्र विद्यार्थीयों के छात्रवृत्ति आवेदन फार्मों को संस्था स्तर पर लॉक कर, प्रपोजल के क्रम अनुसार छात्रवृत्ति आवेदन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं संस्था प्रवेश फार्म (जिसमें छात्र/छात्रा की फोटो एवं हस्ताक्षर हो) की सत्यापित फोटो कॉपी संलग्न कर नवीनीकरण प्रपोजल पृथक-पृथक कार्यालय में प्रस्तुत करें। (संलग्न प्रारूप क्र. 01)

10. संस्था प्राचार्य द्वारा प्रपोजल लॉक कर, लॉक दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करना आवश्यक है।
11. संस्था प्राचार्य द्वारा अपूर्ण एवं अपात्र छात्रवृत्ति आवेदन फार्म संस्था स्तर पर निरस्त किये जावेगें। अपूर्ण/अपात्र छात्रवृत्ति आवेदन फार्म जिला कार्यालय को कदापि अग्रेषित न किये जावे। संस्था द्वारा निरस्त किये छात्रवृत्ति आवेदन फार्मों के संबंध में कारण सहित, विद्यार्थियों को सूचित किया जावे एवं ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन फार्मों की एक सूची कारणों का उल्लेख सहित जिला कार्यालय को भेजी जावे। संस्था प्रमुख द्वारा अपूर्ण एवं अपात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन फार्म अग्रेषित करने एवं उनकी स्वीकृति एवं वितरण हो जाने पर संबंधित संस्था प्रमुख/प्राचार्य जवाबदार होगें। (संलग्न प्रारूप क्र. 02)
12. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता विभाग के निर्धारित नियम निर्देश एवं पात्रता शर्तों के अनुरूप प्रदान की जायेगी।
13. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक/सी-3-7-2013-3-1, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2014 द्वारा आय प्रमाण-पत्र के सरलीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत अब केवल आय बाबत सादे कागज पर स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र मान्य हो सकेगा। इस हेतु घोषणा पत्र का प्रारूप छात्रवृत्ति निर्देशों के साथ छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। शासन के आदेशानुसार इस सत्र से पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा **3.00 लाख रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है।**
14. अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल उन्हीं विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी, जिनकी जाति म.प्र. के लिए घोषित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है तथा इस संबंध में जाति प्रमाण-पत्र म.प्र. के किसी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो, मान्य किया जायेगा।
15. भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
16. राज्य के शासकीय महाविद्यालय/ शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
17. अशासकीय संस्थाओं (कॉलेज) / अशासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को **शासकीय संस्थाओं (कॉलेज) के बेसिक पाठ्यक्रम में ली जा रही है शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।**
18. मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में संचालित बीई पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित जे.ई.ई (JEE) मेन्स परीक्षा में पिछड़ा वर्ग के जिन विद्यार्थियों की मेरिट रैंक 1.50 लाख तक हो उन्हे पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
19. एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य शासन के मेडिकल महाविद्यालयों जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, में जिसमें प्रवेश हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर जिन पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हो उन्हे पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
20. विद्यार्थी के बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें अकाउंट नम्बर एवं आई.एफ.एस.सी. कोड स्पष्ट उल्लेखित हो) एवं विद्यार्थी द्वारा बैंक खाता नियमित संचालित करने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार विद्यार्थी से स्वयं भराकर, संस्था प्रपोजल सूची क्रम अनुसार जानकारी सहित विभाग में प्रस्तुत करें, ताकि विभाग द्वारा छात्रवृत्ति राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से विद्यार्थी के एकल खाते में सीधे किया जा सके। (संलग्न प्रपत्र क्र. 03 (अ)एवं (ब))

21. कार्यालय द्वारा संस्था स्तर से प्राप्त प्रपोजल अनुसार विद्यार्थीयों के छात्रवृत्ति आवेदनों का परिक्षण कर नियमानुसार पात्र विद्यार्थीयों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी तथा स्वीकृति आदेश अनुसार संस्था द्वारा उक्त विद्यार्थीयों की संस्था में प्रवेश दिनांक से छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक उपस्थिति 75 प्रतिशत् आवश्यक है। उपस्थिति संबंधी जानकारी प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अंकित करे एवं 75 प्रतिशत् से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थीयों की सूची संस्था अपने सूचना पटल पर चस्पा करें एवं विद्यार्थीयों को एस.एम.एस./पत्र/ईमेल के माध्यम से सुचित करें, कि 75 प्रतिशत् से कम उपस्थिति होने से छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नियमानुसार जिला कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
22. संस्था द्वारा 75 प्रतिशत् उपस्थिति का प्रमाण पत्र, विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत लॉक दिनांक से 07 दिवस के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है, एवं 75 प्रतिशत् उपस्थिति के संबंध में विद्यार्थी द्वारा लिखित शपथ पत्र के आधार पर संस्था प्राचार्य/निर्देशक की सहमति के पश्चात्, स्वीकृति आदेश अनुसार उपस्थिति की जानकारी एवं विद्यार्थी का उपस्थिति संबंधी घोषणा पत्र कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही विभाग द्वारा संपूर्ण स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान विद्यार्थी के एकल बैंक खाते किया जायेगा। समय सीमा में उपस्थिति प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा न करने पर वितरण की कार्यवाही में होने वाले विलम्ब के लिये संस्था के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे। (संलग्न प्रारूप क्रं. 04(अ), (ब) एवं (स))
23. जिला कार्यालय द्वारा एक बार छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन फार्म निरस्त (अपूर्ण आवेदन/दस्तावेजों के अभाव में) किये जाने पर पुनः विचार नहीं किया जावेगा। छात्रवृत्ति संबंधी दस्तावेजों के अभाव में छात्रवृत्ति आवेदन फार्म निरस्त होने की जवाबदेही संस्था के प्राचार्य/निर्देशक की होगी।
24. समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रोफार्म में एक पंजी का संधारण किया जाना अनिवार्य है, समय समय पर निरीक्षण के दौरान उक्त संधारित पंजी का अवलोकन करवाना सुनिश्चित करें। (संलग्न पंजी प्रारूप)
25. समस्त शासकीय संस्था पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन फार्म की स्वीकृति नियमों का पालन करें।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के तहत वर्ष 2019-20 में पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की जाना है। अतः दिशा निर्देशों का कठाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- प्रारूप (1 से 5)



सहायक संचालक
10/10/19

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

जिला इन्दौर

इन्दौर दिनांक /10/2019

पृ क्र./पोमैछा नवीनीकरण/ निर्देश/2019-20/

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, म.प्र शासन पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. आयुक्त, पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
03. कलेक्टर, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

सहायक संचालक

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

जिला इन्दौर

॥ प्रारूप क्र. 01 की जानकारी॥
 (नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदन फार्म हेतु)

संस्था का कोड संस्था का नाम

वर्ष 2019-20 में कार्यालय द्वारा जारी छात्रवृत्ति दिशा निर्देश के आदेश क्र दिनांक के तहत बिन्दु क्र. 01 के अंतर्गत संस्था स्तर पर विद्यार्थीयों से प्राप्त नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदन फार्म मय आवश्यक दस्तावेजों सहित एवं संस्था प्रवेश आवेदन फार्म की सत्यापित फोटोकॉपी, छात्रवृत्ति प्रभारी व संस्था प्राचार्य के द्वारा सूक्ष्म परीक्षण उपरांत छात्रवृत्ति प्रोजेक्ट क्रमांक दिनांक की संलग्न सूची अनुसार तैयार कर स्वीकृति हेतु विभाग को प्रेषित किये जा रहे हैं।

प्रोजेक्ट सूची अनुसार सभी विद्यार्थीयों के आवश्यक दस्तावेज बिन्दु क्रमांक 01 के अनुसार छात्रवृत्ति आवेदन के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। कृपया स्वीकृति की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

छात्रवृत्ति प्रभारी के हस्ताक्षर
 छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम -----
 मोबाइल नम्बर
 दिनांक

प्राचार्य/निर्देशक के हस्ताक्षर
 प्राचार्य/निर्देशक का नाम -----
 मोबाइल नम्बर
 दिनांक

नोट:- प्रारूप विधिवत् पूर्णतः कम्प्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

॥ प्रारूप क्र. 02 की जानकारी॥

(संस्था स्तर से निरस्तीकरण प्रारूप)

संस्था का कोड संस्था का नाम

वर्ष 2019-20 में संस्था स्तर पर विद्यार्थीओं से प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन फार्मों का सूक्ष्म परीक्षण छात्रवृत्ति प्रभारी एवं संस्था प्राचार्य के द्वारा किया गया जिसमें नीचे दी गई सूची अनुसार विद्यार्थीयों के छात्रवृत्ति आवेदन फार्म संस्था स्तर से मय कारण सहित निरस्त किये गये जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	छात्र की अप्लीकेशन आई.डी	छात्र का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	जन्म दिनांक	कोर्स/ब्रांच	वर्ष (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ)	छात्रवृत्ति आवेदन फार्म निरस्त करने का दिनांक	संस्था स्तर पर छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त करने का कारण

छात्रवृत्ति प्रभारी के हस्ताक्षर
 छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम -----
 मोबाइल नम्बर
 दिनांक

प्राचार्य/निर्देशक के हस्ताक्षर
 प्राचार्य/निर्देशक का नाम -----
 मोबाइल नम्बर
 दिनांक

नोट:- प्रारूप विधिवत् पूर्णतः कम्प्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

॥ प्रारूप क्र. 03 (अ) की जानकारी॥

(संस्था द्वारा छात्रों के बैंक खाते सही होने संबंधी प्रारूप)

संस्था का कोड संस्था का नाम

वर्ष 2019-20 में कार्यालय द्वारा जारी छात्रवृत्ति दिशा निर्देश के आदेश क्र..... दिनांक

के तहत बिन्दु क्र. 20 के अंतर्गत प्रपोजल क्रमांक दिनांक की संलग्न सूची अनुसार कुल विद्यार्थीयों के बैंक खाते की पासबुक में उल्लेखित खाता नम्बर एवं आई.एफ.एस.सी. कोड का सूक्ष्म परीक्षण संस्था प्राचार्य एवं छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया एवं छात्रवृत्ति आवेदन फार्म एवं पासबुक में उल्लेखित बैंक खाता नम्बर एवं आई एफ.एस.सी कोड एक समान ही पाया गया तथा विद्यार्थी द्वारा उक्त बैंक खाता को आधार नम्बर से कराया जाकर विद्यार्थी द्वारा बैंक खाता वर्तमान में नियमित संचालित संबंधी घोषणा पत्र की फोटो कॉपी भी प्रपोजल सूची अनुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु विभाग की ओर प्रेषित है

छात्रवृत्ति प्रभारी के हस्ताक्षर
छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम -----
मोबाइल नम्बर
दिनांक

प्राचार्य/निर्देशक के हस्ताक्षर
प्राचार्य/निर्देशक का नाम -----
मोबाइल नम्बर
दिनांक

नोट:- प्रारूप विधिवत् पूर्णतः कम्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

॥ प्रारूप क्र. 03 (ब) की जानकारी॥

॥ विद्यार्थी द्वारा बैंक खाता नियमित संचालित करने संबंधी घोषणा पत्रक ॥

मैं ----- पिता ----- निवासी ----- जाति ----- प्रमाणित
करता हूँ कि मेरे अपना बैंक खाता क्रमांक बैंक का नाम/ पता
आईएफएससी कोड को अपने आधार नम्बर से लिंक करा दिया गया है।
यदि इस हेतु मेरा छात्रवृत्ति राशि का ई पेमेन्ट फेल होता है, तो इसकी जवाबदारी/ राशि का वहन मेरे द्वारा किया जावेगा।

छात्रवृत्ति प्रभारी के हस्ताक्षर -----
छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम -----
छात्रवृत्ति प्रभारी का मोबाइल नम्बर -----
दिनांक

विद्यार्थी के हस्ताक्षर -----
विद्यार्थी का नाम -----
मोबाइल नम्बर -----
अप्लीकेशन आई डी -----
दिनांक

नोट:- प्रारूप विधिवत् पूर्णतः कम्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

॥प्रारूप क्र. 04 (अ) की जानकारी ॥

संस्था का कोड संस्था का नाम

वर्ष 2019-20 में कार्यालय द्वारा जारी छात्रवृत्ति दिशा निर्देश के आदेश क्र..... दिनांक के तहत बिन्दु क्र. 22 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थीयों की विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत, आदेश क्रमांक दिनांक में स्वीकृत कुल विद्यार्थीयों की संस्था में उपस्थिति संस्था प्रवेश दिनांक से छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक 75 प्रतिशत् उपस्थिति की जानकारी छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्था प्राचार्य द्वारा अंकित कर पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट की हार्ड कॉपी, स्वीकृत सूची एवं विद्यार्थीयों द्वारा 75 प्रतिशत् उपस्थिति के संबंध में दिया गया घोषणा पत्र संलग्न कर छात्रवृत्ति वितरण हेतु विभाग को प्रेषित की जा रही है।

- संलग्न:-
01. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश की कॉपी
 02. छात्रवृत्ति पोर्टल से प्राप्त उपस्थिति रिपोर्ट की कॉपी
 03. विद्यार्थी द्वारा उपस्थिति के संबंध में भरा गया घोषणा पत्र

छात्रवृत्ति प्रभारी के हस्ताक्षर
छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम -----
मोबाइल नम्बर
दिनांक

प्राचार्य/निर्देशक के हस्ताक्षर
प्राचार्य/निर्देशक का नाम -----
मोबाइल नम्बर
दिनांक

- नोट:-
01. प्रारूप विधिवत् पूर्णतः कम्प्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।
 02. छात्रवृत्ति स्वीकृति लॉक दिनांक से 07 दिवस के भीतर जानकारी विभाग में जमा करना अनिवार्य है।

॥प्रारूप क्र. 04(ब) की जानकारी॥
॥ विद्यार्थी द्वारा उपस्थिति के संबंध में घोषणा पत्र जानकारी का पत्रक ॥

- मैं ----- पिता ----- निवासी ----- वर्ष 2019-20 में संस्था - ----- में विषय ----- वर्ष (I.II.III.IV अनुसार अंकित करे) में नियमित अध्ययनरत् हूँ, एवं मेरी छात्रवृत्ति विभाग द्वारा स्वीकृत की गई जिसका अप्लीकेशन आई डी क्रमांक है।
01. संस्था में मेरी उपस्थिति प्रवेश दिनांक से छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक प्रतिष्ठत् है।
 02. मेरे द्वारा वर्ष 2019-20 में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा फार्म भरा गया है अथवा नहीं (हॉ/नहीं)।
मेरी द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी के आधार पर संस्था प्राचार्य के द्वारा सहमति प्रदान कर छात्रवृत्ति राशि का वितरण मेरे एकल बैंक खाते में विभाग द्वारा किया जाये।
उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य है।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर -----
विद्यार्थी का नाम -----
मोबाइल नम्बर -----
अप्लीकेशन आई डी -----
दिनांक

नोट:- शापथ पत्र विधिवत् पूर्णतः कम्प्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

॥प्रारूप क्र. 04 (स) की जानकारी॥
॥ संस्था प्राचार्य/निर्देशक द्वारा उपस्थिति का सत्यापन ॥

मैं यह प्रमणित करता हूँ कि विद्यार्थी ----- पिता ----- विषय ----- वर्ष
(I,II,III,IV अनुसार अंकित करे) जिसका अप्लीकेशन आई डी क्रमांक की उपस्थिति संस्था में प्रवेश दिनांक से
छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक संस्था में संधारित उपस्थिति पंजी के आधार पर प्रतिशत् है, तथा विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में
सम्मिलित होने हेतु फार्म भरा गया है अथवा नहीं

यह जानकारी मेरे द्वारा पूर्ण रूप से सही दी जा रही है। उपरोक्त जानकारी गलत पाई जाने की स्थिति में संस्था
प्राचार्य/निर्देशक उत्तरदायी होगी।

प्राचार्य/निर्देशक के हस्ताक्षर
प्राचार्य/निर्देशक का नाम -----
संस्था -----
मोबाइल नम्बर
दिनांक
व सील

नोट:- प्रारूप विधिवत् पूर्णतः कम्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

॥ शपथ पत्र ॥

॥ पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर वर्ष 2019-20 के संबंध में

निदेशक/प्राचार्य/डीन द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र ॥

मैं ----- निदेशक /प्राचार्य/डीन संस्था कोड----- संस्था -----

- पता ----- जिला इन्डैर पिछडावर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल पर वर्ष 2019-20 के संबंध में घोषणा करता हूँ कि :-

01. संस्था ----- को ----- के द्वारा वर्ष 2019-20 की मान्यता प्राप्त है।

(संस्था की मान्यता संलग्न है)

02. मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की फीस केपिंग अच्छी तरह से जाँचकर एवं सोच समझकर मेरे द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई है।
इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटी होने से यदि गलत छात्रवृत्ति की स्वीकृति जारी होती है। इसके लिए मैं एवं संस्था पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूँगा।

03. हमारी संस्था के समस्त विद्यार्थी नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया का पालन कर प्रवेशित है, तथा संस्था द्वारा मान्यता प्रदान की जाने वाली संस्था के समस्त नियमों का पालन किया जा रहा है। यदि किसी नियम में विसंगति या उल्लंघन पाया जाता है,
तो उसके लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

04. मेरी संस्था की पोर्टल पर जो फीस अपलोड की गई है, उसकी जाँच मेरे द्वारा कर ली गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है।

05. संस्था में पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन फार्म जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने के पूर्व मेरे द्वारा प्रत्येक छात्र के छात्रवृत्ति आवेदन को पोर्टल पर अग्रेषित करने से पूर्व विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति, जन्म दिनांक, आय, मूल निवासी, पाठ्यक्रम का गत वर्ष उत्तीर्ण अंकसूची (एक साल/ दोनो सेमेस्टर), एडमिशन का मोड (डायरेक्ट एडमिशन, सेन्ट्रल लेवल काउंसलिंग, कॉलेज लेवल काउंसलिंग) एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारीयों की सूक्ष्मता से जाँच करने के उपरांत ही छात्रवृत्ति प्रपोजल बनाये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की है।

06. यदि मेरे पोर्टल पर गलत फीस केपिंग की जाती है, तो कम राशि की स्वीकृति की स्थिति में संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि संस्था स्तर से छात्र के आवेदन TFW ऑप्शन (व्यूशन फीस वेवर) पर क्लिक किया जाता है, तो छात्र की शिक्षण शुल्क की राशि (शून्य) स्वीकृत होने के संबंध में संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

07. संस्था द्वारा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाकर सूचित किया गया है, कि विद्यार्थियों के आवेदनों पर विद्यार्थियों द्वारा समस्त जानकारी पूर्णतः जाँच कर नियमानुसार एवं पात्रतानुसार भरी गई है। यदि विद्यार्थियों द्वारा आवेदन में गलत जानकारी भरने से उसका आवेदन निरस्त हो तो है, तो इस स्थिति में विद्यार्थी स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

08. विद्यार्थियों द्वारा गलत खाता नम्बर/ बंद खाता नम्बर दिये जाने पर छात्रवृत्ति भुगतान न होने की स्थिति में विद्यार्थी एवं संस्था पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

09. संस्था में अध्ययनरत् पिछडा वर्ग के विद्यार्थी द्वारा अपने आधार नम्बर की जानकारी बैंक खाते में पंजीकृत कर लिया गया है,
तथा इसका सत्यापन संस्था द्वारा भी कर लिया गया है।

10. परिपत्र के संलग्न सभी प्रारूप मेरे द्वारा पूर्ण रूप से पढ़े जाकर परीक्षण पश्चात् हस्ताक्षरित कर छात्रवृत्ति प्रपोजल के साथ प्रस्तुत करंगा/ करंगी।

11. छात्रवृत्ति परिपत्र में दिए गए सभी बिन्दुओं का अध्ययन मेरे द्वारा कर लिया गया है, जिनका मेरे द्वारा पालन करंगा/ करंगी।

12. छात्रवृत्ति स्वीकृति पश्चात् विद्यार्थियों की उपस्थिति नियमानुसार/ पात्रतानुसार छात्रवृत्ति पोर्टल पर लॉक की जाएगी।

मेरे द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 से 12 तक का अध्ययन कर लिया गया है, तथा सभी बिन्दुओं की जानकारी मेरे द्वारा सही एवं सत्यता से पूर्ति की जाकर मेरे अपनी सहमति से उपरोक्त शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा/ रही हूँ।

नोट:- शपथ पत्र विधिवत् पूर्णतः कम्प्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

कार्यालय शासकीय/ अशासकीय संस्था ----- जिला इन्दौर

॥ पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेंट्रिक छात्रवृत्ति हेतु संधारित पंजी का प्रारूप वर्ष 2019-20 ॥